संख्या-57/2016/1953 ई-2/तेरह-2016-36/2012

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 16 सितम्बर,2016

विषय:- श्री आनन्द साहू, स्वामी होटल आनन्द, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, झांसी को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-744/स0आ0अ0/बारअनुज्ञापन/झॉसी, दिनांक 05 नवम्बर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 22-11-2013 एवं 24-6-2015 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-27/दस-लाइसेंस-32/खण्ड-2/एफ0एल0-6,7/2016-17/झांसी, दिनांक 05 मई,2016, संख्या-जी-61/दस-लाइसेंस-32/खण्ड-2/एफ0एल0-6,7/2016-17/झांसी, दिनांक 17 जून,2016 तथा पत्र संख्या-जी-88/दस-लाइसेंस-32/खण्ड-2/एफ0एल0-6,7/2016-17/झांसी, दिनांक 28 अगस्त,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री आनन्द कुमार साहू, निवासी-208, तिलयानी बजरिया, झांसी को होटल आनन्द, स्टेशन रोड, सिविल लाइन्स, झांसी के नाम से वर्ष 2016-17 के लिये के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
( विनोद कुमार तिवारी )
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-57/2016/1953(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-27/दस-लाइसेंस-32/खण्ड-2/ एफ0एल0-6,7/2016-17/झांसी, दिनांक 05 मई,2016, संख्या-जी-61/दस-लाइसेंस-32/खण्ड-2/ एफ0एल0-6,7/2016-17/झांसी, दिनांक 17 जून,2016 तथा पत्र संख्या-जी-88/दस-लाइसेंस-32/खण्ड-2/एफ0एल0-6,7/2016-17/झांसी, दिनांक 28 अगस्त,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
( विनोद कुमार तिवारी )
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।